



**कार्यालय :- प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची**

वन मवन, डोरण्डा, राँची

e-mail : pccf-development@gov.in, Phone No. 0651-2481813



पत्रांक : ०१ / यो०बजट-३२/२०१९- ।०५७९ दिनांक : १४/१०/१९

प्रेषक,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास
झारखण्ड, राँची ।

सेवा में,

वन प्रभण्डल पदाधिकारी, गुमला वन प्रमंडल, गुमला/सराईकेला वन प्रमंडल,
सराईकेला/चाईबासा वन प्रमंडल, चाईबासा/मेदिनीनगर वन प्रमंडल,
मेदिनीनगर/चतरा उत्तरी वन प्रमंडल, चतरा/हजारीबाग पूर्वी वन प्रमंडल,
हजारीबाग/बोकारो वन प्रमंडल, बोकारो।

विषय :-

वित्तीय वर्ष 2019-20 से 2021-22 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2019-20 में
कार्यान्वित की जाने वाली “लघु वन पदार्थ का उन्नयन योजना” (अन्य व्यय)
के अन्तर्गत रंगीनी एवं कुसुमी लाह उत्पादन को प्रोत्साहन देने (संयुक्त वन
प्रबंधन समिति के अंतर्गत स्वयं सहायता समुह के द्वारा लाह उत्पादन हेतु
कृषकों को प्रोत्साहन देने) हेतु कुल रु० 238.299 लाख (दो करोड़
अङ्गतीस लाख उन्तीस हजार नौ सौ रुपये) मात्र राशि का ऑन लाइन
उप आवंटन (Online Sub Allotment)।

प्रसंग:-

विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या ४/यो०ब०-४६/२०१९-४२/स्वी० व०प० दिनांक
२७.०९.२०१९ एवं विभागीय आवंटन आदेश संख्या ०४/यो०बजट-४६/२०१९-
९१/आ० व०प० दिनांक ३०.०९.२०१९ ।

महाशय,

उपरोक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के आलोक में बजट मुख्य
शीर्ष-२४०६-वानिकी तथा वन्य प्राणी, उप मुख्य शीर्ष- ०१ वानिकी, लघु शीर्ष- १०२ समाज
तथा फार्म वानिकी, उप शीर्ष- ०९ “लघु वन पदार्थ का उन्नयन” योजना के अंतर्गत वित्तीय
वर्ष 2019-20 में उपबंध के अंतर्गत स्वीकृत राशि में से कुल रु० 238.299 लाख (दो
करोड़ अङ्गतीस लाख उन्तीस हजार नौ सौ रुपये) मात्र का उप आवंटन निम्नलिखित
इकाईयों में किया जाता है :-

प्राथमिक इकाई	विपत्र कोड	(राशि लाख में)
मजदूरी	19S240601102090103	41.524
आपूर्ति एवं सामग्री	19S240601102090323	196.775
कुल :-		238.299

2. इस राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उप आवंटन आदेश के
अनुलग्नक-१(क) एवं १(ख) पर वर्णित प्रमण्डल पदाधिकारी होंगे जो अपने समुख अंकित

कार्यों की राशि से अपने—अपने कार्यालयों के कार्यों के लिए उत्तरदायी होंगे एवं इस कार्यालय को सम्बन्ध भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र समर्पित करेंगे। कार्य दर अनुलग्नक—2(क) एवं 2(ख) एवं ऑन लाईन उप आवंटन की प्रति अनुलग्नक—3 पर द्रष्टव्य है।

इस योजना अन्तर्गत प्रशिक्षण कार्यों के लिए संबंधित प्रशिक्षण विद्यालयों को राशि पूर्व में उप—आवंटित कर दी गई है। इस संबंध में मुख्य वन संरक्षक —सह— मुख्य समन्वयक, विश्व खाद्य कार्यक्रम, झारखण्ड, राँची से सम्पर्क कर दिशा निर्देश प्राप्त किया जा सकता है।

3. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि जिन समितियों को राशि उपलब्ध कराई जाएगी, उस समिति से संबंधित सभी अभिलेख एवं उत्पादित लाह से संबंधित प्रतिवेदन इस कार्यालय को उपलब्ध करायेंगे।

4. इस योजना का कोड संख्या— 19S240601102090103, 19S240601102090323 है, जो कोषागार से राशि निकासी के लिए प्रस्तुत विपत्रों एवं व्यय प्रतिवेदन में अनिवार्य रूप से अंकित किया जाएगा।

5. इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास, झारखण्ड होंगे, जिनके द्वारा योजना कार्यान्वयन का सतत अनुश्रवण सुनिश्चित किया जायेगा। योजनान्तर्गत प्रत्येक माह निर्धारित वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य के विरुद्ध प्रगति से इस कार्यालय को अवगत कराया जाएगा।

6. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा योजना का सफल कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों के द्वारा कार्यान्वयनाधीन योजनाओं का नियमित निरीक्षण करते हुए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कार्य सम्पन्न कराया जायेगा तथा प्रत्येक माह की पाँच तारीख तक अपने नियंत्री पदाधिकारी को वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन समर्पित किया जायेगा।

7. स्वीकृत राशि की निकासी वित्त विभाग के पत्रांक 2561 दिनांक 17.04.1998 एवं समय—समय पर निर्गत परिपत्रों के आलोक में किया जायेगा।

8. राशि की निकासी संबंधित जिलों में अवस्थित कोषागार/उप कोषागार से की जायेगी तथा झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम 174 एवं सभी वित्तीय नियमों का अनुपालन दृढ़तापूर्वक किया जायेगा।

9. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि किसी भी परिस्थिति में उप आवंटित राशि से अधिक की निकासी एवं व्यय नहीं किया जायेगा तथा वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य निर्धारित अधिसीमा से कम नहीं हो। अगर वित्तीय लक्ष्य से ज्यादा देनदारियाँ सृजित की जाती हैं, तो उन दावों के सृजन के लिए विभाग जिम्मेवार नहीं होगा।

10. मजदूरी का भुगतान श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा निर्धारित अद्यतन दर के अनुरूप किया जायेगा। मजदूरी मद में स्वीकृत राशि का व्यय योजना के परिमाणकों के अंतर्गत एवं निर्धारित मजदूरी दर के अनुरूप वास्तविक व्यय तक सीमित रखना सुनिश्चित किया जायेगा।

11. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि इस योजना अंतर्गत मजदूरी मद में मजदूरों को भुगतान की जाने वाली राशि का भुगतान मजदूरों के बैंक खाता/ डाकघर खाते के माध्यम से ही किया जायेगा। साथ ही सामग्री के भुगतान के संबंध में विभागीय पत्रांक 1204 दिनांक 20.03.2017 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

12. नियंत्री तथा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की यह जिम्मेवारी रहेगी, अगर वे देखें कि यदि कोई ऐसी योजना का कार्य के विरुद्ध राशि का व्यय किया जा रहा है, जिसके लिए दूसरे स्रोत से राशि मिल रही है या मिलने जा रही है, तो इसकी निकासी रोककर इसके निराकरण हेतु सूचना संबंधित पदाधिकारी या विभाग को तुरंत देंगे।

13. योजनाओं में सामग्री का क्रय वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत दिशा-निर्देश एवं वित्तीय नियमों तथा वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के संकल्प संख्या-940 दिनांक 16.03.1992 द्वारा मुख्य वन संरक्षक की अध्यक्षता में गठित क्रय समिति की अनुशंसाओं के अनुसार की जाएगी, या GeM से किया जाएगा।

14. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा Account Code Vol (III) की धारा 288 के अनुसार अपने कार्यालय का मासिक लेखा आगामी माह की 5वीं तारीख तक महालेखाकार कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित किया जायेगा तथा लेखा का त्रैमासिक Reconciliation समय निश्चित रूप से कराना सुनिश्चित किया जायेगा। साथ ही Account Code Vol (III) की धारा 297 के प्रावधानों के अनुरूप सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संवितरकों के खाते का मासिक सार (60P) वन संरक्षक/अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, सामाजिक वानिकी/अन्य नियंत्री पदाधिकारी के माध्यम से महालेखाकार को समर्पित कराना सुनिश्चित करायेंगे।

15. स्वीकृत राशि का भुगतान वित्त विभागीय पत्रांक 3542 दिनांक 19.12.2013 में निरूपित प्रावधानों के अनुरूप किया जायेगा।

अनुलग्नक :— यथोक्ता ।

विश्वभाजन,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, रौची

ज्ञापांक— 01 / यो0बजट-32 / 2019— 1059 दिनांक— 14/11/19

प्रतिलिपि :— अनुलग्नक सहित मुख्य वन संरक्षक —सह— मुख्य समन्वयक, विश्व खाद्य कार्यक्रम, झारखण्ड, राँची/क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, राँची/जमशेदपुर/मेदिनीनगर/ हजारीबाग/बोकारो /वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, गुमला/ जमशेदपुर/चाईबासा/ मेदिनीनगर/ चतरा/ हजारीबाग/ बोकारो/ इनविस सेन्टर, डोरण्डा, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक :— यथोक्त ।

प्रधान ~~मुख्य वन संरक्षक~~, विकास,
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक— 01 / यो0बजट-32 / 2019— 1059 दिनांक— 14/11/19

प्रतिलिपि :— अनुलग्नक सहित कोषागार पदाधिकारी, गुमला/ सराईकेला/चाईबासा/ मेदिनीनगर/ चतरा/ हजारीबाग/ बोकारो को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक :— यथोक्त ।

प्रधान ~~मुख्य वन संरक्षक~~, विकास,
झारखण्ड, राँची

वित्तीय वर्ष 2019–20 में कार्यान्वित की जाने वाली “लघु वन पदार्थ का उन्नयन” योजना (अन्य व्यय) के अंतर्गत कुसुमी लाह उत्पादन को प्रोत्साहन देने (संयुक्त वन प्रबंधन समिति के अंतर्गत स्वयं सहायता समूह के द्वारा लाह उत्पादन हेतु कृषकों को प्रोत्साहन देने) का प्रथम वर्ष का प्रमण्डलवार उप-आवंटित मौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य (मजदूरी दर : वित्तीय वर्ष 2019–20 में ₹0 249.83 प्रति मानव दिवस)

(राशि लाख में)

क्र. सं.	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का नाम	संयुक्त वन प्रबंधन समिति के अन्तर्गत स्वयं सहायता समूह की संख्या	वृक्षों की कुल संख्या (100 वृक्ष प्रति समिति)	वित्तीय वर्ष 2019–20 प्रथम वर्ष		
				मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल
				6.860	60.041	66.901
i	ii	iii	iv	v	vi	vii
1	गुमला वन प्रमण्डल, गुमला	125	12500	6.860	60.041	66.901
2	सराईकेला वन प्रमण्डल, सराईकेला	125	12500	6.860	60.041	66.901
3	चाईबासा वन प्रमण्डल, चाईबासा	125	12500	6.860	60.041	66.901
योग :-		375	37500	20.580	180.123	200.703




प्रधान मुख्य वन सरकार, विकास
झारखण्ड, राँची।

वित्तीय वर्ष 2019-20 में कार्यान्वित की जाने वाली “लघु वन पदार्थ का उन्नयन” योजना (अन्य व्यय) के अंतर्गत रंगिनी लाह उत्पादन को प्रोत्साहन देने (संयुक्त वन प्रबंधन समिति के अंतर्गत स्वयं सहायता समूह के द्वारा लाह उत्पादन हेतु कृषकों को प्रोत्साहन देने) का प्रथम वर्ष का प्रमण्डलवार उप-आवंटित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य (मजदूरी दर : वित्तीय वर्ष 2019-20 में ₹0 249.83 प्रति मानव दिवस)

(राशि लाख में)

क्र. सं.	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का नाम	संयुक्त वन प्रबंधन समिति के अन्तर्गत स्वयं सहायता समूह की संख्या	वृक्षों की कुल संख्या (100 वृक्ष प्रति समिति)	वित्तीय वर्ष 2019-20 प्रथम वर्ष		
				मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल
				5.236	4.163	9.399
i	ii	iii	iv	v	vi	vii
1	मेदिनीनगर वन प्रमंडल, मेदिनीनगर	125	12500	5.236	4.163	9.399
2	चतरा उत्तरी वन प्रमंडल, चतरा	125	12500	5.236	4.163	9.399
3	हजारीबाग पूर्वी वन प्रमंडल, हजारीबाग	125	12500	5.236	4.163	9.399
4	बोकारो वन प्रमंडल, बोकारो	125	12500	5.236	4.163	9.399
योग :-		500	50000	20.944	16.652	37.596



प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास झारखण्ड, राँची।



कुम्ही लाह उत्पादन हेतु कार्य दर तालिका

५०४

क्रमांक	(कार्य का विवरणी	तर	प्रथम वर्ष 2019-20 प्रबद्धी प्रति वर्षात् देवसंस 295.83				द्वितीय वर्ष 2020-21 प्रबद्धी प्रति वर्षात् देवसंस 287.30				तृतीय वर्ष 2021-22 प्रबद्धी प्रति वर्षात् देवसंस 300.40				सकल योगा	अनुच्छेद				
			भौतिक लक्ष्य	भवदूरी	आमदगी	प्रशिक्षण	कुल यथा	भौतिक लक्ष्य	भवदूरी	आमदगी	प्रशिक्षण	कुल यथा	भौतिक लक्ष्य	भवदूरी	आमदगी	प्रशिक्षण	कुल यथा			
7	फसल संरक्षण पर अध्ययन	(कोटनाशक उत्पादित)	60 लूप भवी बुद्धि	3750	2.250	2.250	5000 बुद्धि	3.000	3.000	3750 बुद्धि	2.250	2.250	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	प्रथम वर्षीय अध्ययन में बोट-3 के 3750 बुद्धि एवं जड़दारी गांडी एवं गोहन लूप आवृत्तराम नियंत्रण विभाग ने कृषक अन्वेषणिक अध्ययन की ओर से अध्ययन के तुम्हारे भवी के चुम्पी भवी के चुलाई भवी भवी ने गोहन लूप का संवरपण करने।		
8	कोटनाशक उत्पादित हेतु रोकेगा स्वे परीक्षन		1 वर्षीन प्रति 10 लाखुक परीक्षित (@ 6000रुपा)		7.500	7.500				0.000				0.000	0.000	0.000	7.500			
9	छुन्की का स्कोरिंग एवं संग्रहण		4 वार्ष दिवस प्रति 100 बुद्धि	3750	0.375	0.375	5000 बुद्धि	0.575	0.575	3750 बुद्धि	0.496	0.496	0.496	0.496	0.496	0.496	0.496	1.445		
10	तकनीकी सहायता (विशेषज्ञों एवं लाहुर पर्यावरण का यात्रा यथा सहित)				0.250	0.250			0.250	0.250		0.000	0.250	0.250	0.250	0.250	0.250	0.750		
11	लाहुर पर्यावरण को मानदेश		1 पर्यावरणक (@ Rs. 5000/- पर्यावरण/ लाहुर (6 माह)	1	0.300	0.000	0.300	1 पर्यावरणक (12 माह)	0.600	0.000	0.600	1 पर्यावरणक (12 माह)	0.600	0.000	0.600	0.600	0.600	1.500		
12	CRP (Community Resource Person) को मानदेश		12 CRP @ 2000रुपा प्रति माह	12 CRP	1.440	1.440	1.440	12 CRP (12 माह)	2.880	2.880	2.880	12 CRP (12 माह)	2.880	2.880	2.880	2.880	2.880	7.200		
13	अन्य आकर्षितक व्यय (बोर्ड / क्लासिटिक रस्ती, रंग, पेट, स्टेशनरी इत्यादि)				0.000	0.500	0.500		0.500	0.500	0.500		0.500	0.500	0.500	0.500	0.500	1.500		
	कुल योग-				6.860	58.719	0.510	66.089	9.063	4.750	0.250	14.083	6.454	4.000	0.250	10.704	90.876			
	Concurrent Monitoring and Evaluation (Including MIS, documentation, data Collection, reports, case studies etc.)					1.322	1.322			0.282	0.282		0.214	0.214	1.818					
	सकल योग-					6.860	60.041	0.510	67.411	9.083	5.032	0.250	14.365	6.454	4.214	0.250	10.918	92.694		

नोट : चर्तवार्ष वित्तीय वर्ष के लिये भवदूरी दर अन्य नियोजित एवं प्रतिवर्ष वित्तीय चर्तवार्ष भवदूरी दर 295.83 रुपये प्रति वर्षात् देवसंस के आधार पर दोषज्ञा का प्रत्यक्षकरण देवसंस किया जाएगा।

—
अध्यात्म योग्य सख्तक, विकास,
झारखण्ड, रोची।

रेमन लाह उत्तादन हतु समाधित काय दर तातक

प्रोत्ताहन देने (स्पृष्टि का विवरण) के लिए 1250 मिलीमीटर के अधिक स्थान की प्रोत्ताहन देने की जगह दो या तीन बार उत्पादन होने के लिए इसका उपयोग किया जाता है।

क्र० सं०	नाम्य का विवरणी	दर	प्रथम वर्ष 2019-20 भजदूरी पति						द्वितीय वर्ष 2020-21 भजदूरी पति मानव विवर दिवस 249.83						पुतीय वर्ष 2021-22 भजदूरी पति		सबल गांग	अनुचित
			मौतिक लक्ष्य	मजदूरी	सामग्री	प्रशिक्षण	कुल व्यय	भौतिक लक्ष्य	मजदूरी	सामग्री	प्रशिक्षण	कुल व्यय	मौतिक लक्ष्य	मजदूरी	सामग्री	प्रशिक्षण	कुल व्यय	
8	कोटीनामा डिफ़िडकार हेतु राँकिंग से मशीन	1 प्रथम प्रति 10 सालुक परिवार @ 6000/-						7.500		7.500					0.000	7.500		
9	फुक्की का रक्केपिंग एवं संग्रहण	1 मानव दिवस प्रति 100 दृश्य				0.000	6250 दृश्य	0.718	0.718	6250 दृश्य	0.826			0.826	1.544			
10	तकनीकी सहायता (विशेषज्ञों एवं लाह परवेसकों का यात्रा व्यय सहित)				0.250	0.250		0.250		0.250	0.000	0.250		0.250	0.750			
11	लाह परवेसकों को मानदेय परिवेसक पति	1 प्रथम प्रति 6 माह	Rs. 500/- परवेसक पति माह	0.300	0.000	0.000	0.300	1 प्रथम प्रति (12 माह)	0.600	0.000	0.000	0.600	1 प्रथम प्रति (12 माह)	0.600	0.000	0.000	0.600	1.500
12	CRP (Community Resource Person) को मानदेय	12 CRP @ 2000/- प्रति माह	CRP (6 माह)	1.440			1.440	12 CRP (12 माह)	2.880		2.880	12 CRP (12 माह)	2.880	2.880	2.880	2.880	7.200	
13	अन्य आकर्षित व्यय (बोर्ड/स्टाइरिट क रसी, रंग, पेट, स्टेशनरी इत्यादि)	कुल योग्य-		0.000	0.500	0.500		0.500		0.500		0.500		0.500	0.500	1.500		
14	Concurrent Monitoring and Evaluation (including MIS, documentation, data Collection, reports, case studies etc.)	@ 2 % of Project cost		0.194	0.194			0.651	0.651		0.184	0.184	0.184	0.184	1.030			
	सकल योग्य-			5.236	3.969	0.510	9.715	8.687	23.625	0.250	32.562	5.338	3.625	0.250	9.213	51.490		

प्रतिवार्षिक विवरण भजदूरी दर अपने नियोजन एवं प्रतिवार्षिक विवाद द्वारा नियमित चौथाम भजदूरी दर 249.83 रुपये प्रति मानव विवाद के आधार पर बोझना का प्रावकलन तैयार किया जाएगा।

प्रधान मुख्यमन्त्री सरकार, विकास,
ज्ञानरखण्ड, रोन्ही।



आवंटन आदेश

गोपनीय सरकार

चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 में व्यय हेतु निम्नांकित दर्शाए गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है।

पत्र संख्या - 01/YB-32/2019/1059

दिनांक -

14-Nov-2

क्रमांक	विपल कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
1	S 19 240601102090103	72629	GMLFOR001 SRIKANT D.F.O. GUMLA	686,000.00 रुपये छ: लाख छियासी हजार
2	S 19 240601102090103	72630	SKLFOR001 ADITYA NARAYAN D.F.O. SERAIKELLA-KHARSA WAN	686,000.00 रुपये छ: लाख छियासी हजार
3	S 19 240601102090103	72631	SGHFOR010 SATYAM KUMAR (I.F.S.) DFO, CHAIBASA FOREST DIV.	686,000.00 रुपये छ: लाख छियासी हजार

योगः

क्रमिक योगः

रुपये बीस लाख अठावन हजार

DEVENDRA SINGH GAUR IFS

PCCF DEV.JHARKHAND RANCHI

क्रमांक	विपरी कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
4	S 19 240601102090103	72632	PLMFOR070 RAHUL KUMAR IFS D.F.O.MEDININAGAR. OREST.DIV.	523,600.00 रुपये पाँच लाख तेहस हजार छ: सौ
	2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 09 - लघु वन पदार्थों का उत्पादन 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme State Scheme : DEVELOPMENT OF MINOR FOREST PRODUCE(0337) Central Scheme : NA			
5	S 19 240601102090103	72633	CTRFOR002 NAresh CHANDRA SINGH MUNDA D.F.O. NORTH DIV. CHATRA	523,600.00 रुपये पाँच लाख तेहस हजार छ: सौ
	2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 09 - लघु वन पदार्थों का उत्पादन 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme State Scheme : DEVELOPMENT OF MINOR FOREST PRODUCE(0337) Central Scheme : NA			
6	S 19 240601102090103	72634	HZBFWL009 SMITHA PANKAJ DIV. FOREST OFFICE EAST	523,600.00 रुपये पाँच लाख तेहस हजार छ: सौ
	2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 09 - लघु वन पदार्थों का उत्पादन 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme State Scheme : DEVELOPMENT OF MINOR FOREST PRODUCE(0337) Central Scheme : NA			
<hr/>				
योग:				1,570,800.00
क्रमिक योग:	रुपये छातीस लाख अठाइस हजार आठ सौ			3,628,800.00


(BRIJ VIKRAM SINGH GAUR IFS)

PCCF.DEV.JHARKHAND RANCHI

क्रमांक	विषय कोड	एक्सेस नं.	निकासी एवं व्यवन पदा.	आवंटित राशि
7	S 19 240601102090103 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 09 - लघु बन पदार्थों का उत्पयन 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme State Scheme : DEVELOPMENT OF MINOR FOREST PRODUCE(0337) Central Scheme : NA	72635	BKRFOR001 VIJAY SHANKAR DUBEY D F O, BOKARO	523,600.00
8	S 19 240601102090323 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 09 - लघु बन पदार्थों का उत्पयन 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme State Scheme : DEVELOPMENT OF MINOR FOREST PRODUCE(0337) Central Scheme : NA	72636	GMLFOR001 SRIKANT D.F.O., GUMLA	6,004,100.00
9	S 19 240601102090323 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 09 - लघु बन पदार्थों का उत्पयन 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme State Scheme : DEVELOPMENT OF MINOR FOREST PRODUCE(0337) Central Scheme : NA	72637	SKLFOR001 ADITYA NARAYAN D. F. O. SERAIKELLA-KHARSA WAN	6,004,100.00
योग: 12,531,800.00				
क्रमिक योग: रुपये एक करोड़ इक्सठ लाख साहन हजार छ: सौ 16,160,600.00				

(SRI LAKHMI SINGH GAUR (FS))

PCCF.DEV.JHARKHAND RANCHI

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
10	S 19 240601102090323 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 09 - लघु वन पदार्थों का उत्पयन 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme State Scheme : DEVELOPMENT OF MINOR FOREST PRODUCE(0337) Central Scheme : NA	72638	SGHFOR010 SATYAM KUMAR (I.F.S.) DFO, CHAIBASA FOREST DIV.	6,004,100.00 रुपये साहच लाख चार हजार एक सौ
11	S 19 240601102090323 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 09 - लघु वन पदार्थों का उत्पयन 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme State Scheme : DEVELOPMENT OF MINOR FOREST PRODUCE(0337) Central Scheme : NA	72639	PLMFOR070 RAHUL KUMAR IFS D.F.O. MEDININAGAR FOREST DIV.	416,300.00 रुपये चार लाख सोलह हजार तीन सौ
12	S 19 240601102090323 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 09 - लघु वन पदार्थों का उत्पयन 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme State Scheme : DEVELOPMENT OF MINOR FOREST PRODUCE(0337) Central Scheme : NA	72640	CTRFOR002 NAresh CHANDRA SINGH MUNDA D.F.O. NORTH DIV. CHATRA	416,300.00 रुपये चार लाख सोलह हजार तीन सौ
योग: 6,836,700.00				
ऋग्मिक योग: 22,997,300.00				

(SRI VIKRAM SINGH GAUR IFS)

PCCF, DEV, JHARKHAND RANCHI

क्रमांक	विषय कोड	एक्सेस नं.	निकासी एवं व्यवन पदा.	आवंटित राशि
13	S 19 240601102090323 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 09 - लघु बन पदार्थों का उत्पयन 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme State Scheme : DEVELOPMENT OF MINOR FOREST PRODUCE(0337) Central Scheme : NA	72641	HZBFWL009 SMITHA PANKAJ DIV. FOREST OFFICE EAST	416,300.00
14	S 19 240601102090323 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 102 - समाज तथा फार्म वानिकी 09 - लघु बन पदार्थों का उत्पयन 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme State Scheme : DEVELOPMENT OF MINOR FOREST PRODUCE(0337) Central Scheme : NA	72642	BKRFOR001 VIJAY SHANKAR DUBEY D.F.O. BOKARO	416,300.00
<hr/>				
योग:				832,600.00
क्रमिक योग:	रुपये दो करोड़ अड़तीस लाख उन्तीस हजार नौ सौ			23,829,900.00
<hr/>				
<p style="text-align: center;">(SRI VIKRAM SINGH GAUR IFS)</p> <p style="text-align: center;">PCCF.DEV.JHARKHAND RANCHI</p> 